



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225844
CG-DL-E-12032021-225844

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942

No. 125]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

सा.का.नि. 166(अ).—अखिल भारतीय पर्यटक यान (प्राधिकारया परमिट) नियमका प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 425(अ), तारीख 01 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचनाकी प्रतियां 01 जुलाई, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988का 59) की धारा 89 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 88 की उप-धारा (9), उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान (पर्यटक परिवहन संचालकगणहेतु अखिल भारत अनुज्ञापत्र) नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय पर्यटक यान (प्राधिकारया परमिट) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्राधिकृत करना' से परिवहन प्राधिकरण द्वारा, किसी पर्यटक यान के प्रचालक या मालिक को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें यान चलाया जाएगा, द्वारा उद्बहित कर या फीस, यदि कोई हो, के भुगतान के अधीन संपूर्ण भारत क्षेत्र में पर्यटक यान चलाए जाने के लिये दिया गया कोई प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ग) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबंध कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) 'परमिट' से परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी पर्यटक यान के प्रचालक या मालिक को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जहां यान चलाया जाएगा, द्वारा कर या शुल्क का भुगतान किए बिना संपूर्ण भारत क्षेत्र में पर्यटक यान चलाने के लिए समर्थ बनाने हेतु जारी परमिट अभिप्रेत है।

(ङ.) 'परिवहन प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रवृत्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. प्राधिकार या परमिट के लिए आवेदन - (1) प्राधिकार नियम 5 में यथा उल्लिखित श्रेणी के पर्यटक यान प्रचालक को ही प्रदान जाएगा और परमिट वैध प्राधिकार रखने वाले पर्यटक यान प्रचालक के पर्यटक यान के लिये दिया जाएगा।

(2) प्राधिकार प्रदान करने या प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा और इसके साथ प्ररूप 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां होंगी:-

(3) किसी पर्यटक यान के लिए परमिट प्रदान करने या परमिट के नवीनीकरण के लिए परिवहन प्राधिकरण को आवेदन प्ररूप 1क में किया जाएगा और इसके साथ प्ररूप 1क में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां होंगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन किया गया आवेदन नियम 5 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा।

(5) आवेदन विनिर्दिष्ट फीस के साथ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् <https://parivahan.gov.in/parivahan/> पर किया जाएगा।

(6) परिवहन प्राधिकरण आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, जारी करेगा।

4. प्राधिकार या परमिट प्रदान करने तथा इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया: (1) नियम 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, परमिट के मामले, यह सुनिश्चित करने के लिए कियान इन नियमों के अनुरूप और सड़क के अनुकूल हैं, संबंधित परिवहन प्राधिकरण दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण कर सकता है।

(2) यदि नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन किया गया आवेदन अधूरा है और नियम 5 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ नहीं है, तो परिवहन प्राधिकरण लिखित में दिए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन को अस्वीकृत कर सकते हैं:

परंतु, आवेदन अस्वीकृत करने से पहले, आवेदक को आवेदन में गलती को सुधारने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।

(3) यदि आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उस प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, को स्वीकृत माना जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए इसे तैयार किया जाएगा।

(4) प्राधिकार और परमिट, प्ररूप 2 और प्ररूप 3, जैसा भी मामला हो, में प्रदान किया जाएगा तथा यह तीन माह या इसके बाद इसका गुणक जो एक बार में पांच वर्ष से अधिक नहीं, की अवधि के लिए वैध होगा।

(5) यान के प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बारह वर्ष पूरा होने के बाद किसी यान को प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

परंतु, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में रजिस्ट्रीकृत डीजल यानों के मामले में, इसके पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस वर्ष पूरा होने के बाद परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।

(6) प्राधिकार या परमिट को ऐसे आवेदन पर नवीनीकृत किया जा सकता है, जो इसकी समाप्ति की तारीखसे कम से कम पंद्रह दिन पहले किया गया हो।

5. प्राधिकार या परमिट जारी करने के लिए फीस – (1) प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित तालिका में यथा विनिर्दिष्ट फीस होनी चाहिए:-

सारणी 1

(वार्षिक)

क्र. संख्या	चालक को छोड़कर यात्री क्षमता के अनुसार पर्यटक यान की श्रेणी	प्राधिकार फीस (रुपये में)	वातानुकूलित परमिट फीस (रुपये में)	गैर वातानुकूलित परमिट फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नौ से कम	500	25,000	15,000
2.	दस या अधिक किंतु तेईस से कम	750	75,000	50,000
3.	तेईस या अधिक	1000	3,00,000	2,00,000

(2) त्रैमासिक परमिट की दर उप-नियम (1) में निर्दिष्ट फीस का तीस प्रतिशत होगी।

(3) परंतु, ऐसे मामले में, जहां परिवहन प्राधिकरण, अधिकारिता वाले परिवहन प्राधिकरण से अलग हो, जिसमें प्रचालकका अपना रजिस्ट्रीकृत पता हो या यान रजिस्ट्रीकृत हो, तो प्राधिकार की दशा में सौ रुपये का अतिरिक्त भार, जैसा भी मामला हो, प्राधिकार या परमिट को जारी करने के लिए लिया जाएगा।

6. समेकित प्राधिकार या परमिट फीस का राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में वितरण – (1) प्राधिकार और परमिट की दशा में एक हजार रुपये का, जैसा भी मामला हो, के लिए संदाय की गई फीस को अधिकारिता वाले राज्य को मासिक आधार पर संप्रेषित किया जाएगा।

(2) नियम 5 के अधीन संग्रहित की गई परमिट फीस का राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में वितरण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:-

$$\text{एसआर} = \text{एसएस} \times (\text{देश के लिए मासिक वास्तविक राजस्व})$$

$$\text{एसआर}_{\text{एन}} = \text{राज्य के लिए मासिक वास्तविक राज्य राजस्व}$$

$$\text{एसएस}_{\text{एन}} = \text{राज्य का राज्य हिस्सा}$$

$$= \frac{\text{पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कुल राजस्व}}{\text{पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों का कुल राजस्व}}$$

$$\text{पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों का कुल राजस्व}$$

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति 'कुल राजस्व' पदसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्तरराज्ययिक परमिट प्रकारो के उद्ग्रहण से संग्रहित राजस्व अभिप्रेत है।

7. **प्राधिकार या परमिट का विस्तार और विधिमान्यता – (1)** प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, पूरे देश के लिए मान्य होना चाहिए।
- (2) प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, का उपयोग अपने निजी सामान के साथ व्यक्तिगत या समूह में यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाना चाहिए।
- (3) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को व्यक्तिगत या समूह में यात्रियों के परिवहन के लिये यान का उपयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उनके पास वैध प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या वास्तविक प्ररूप में न हो।
8. **प्राधिकार या परमिट का अंतरण-**(1) उप-नियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारिता वाले परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के सिवाय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्राधिकार या परमिट, जैसा भी मामला हो, का अंतरण नहीं किया जा सकता है।
- (2) इन नियमों के अधीन पर्यटन यान के स्वामित्व को दिया गया प्राधिकार या परमिट स्वामी की मृत्यु के कारण अन्तरित किया जा सकेगा जहां भावी स्वामी या उत्तराधिकारी प्राधिकार या परमिट का उपयोग मृत्यु के तीन माह के भीतर परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक परिवर्तन करने के पश्चात किया जा सकेगा।
- परंतु, परिवहन प्राधिकरण तीन माह की समाप्ति के पश्चात भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करने से रोका गया था।
9. **यान का प्रतिस्थापन –** प्राधिकार या परमिट धारक, अधिकारिता वाले परिवहन प्राधिकरण की अनुमति से यथास्थिति प्राधिकार या परमिट, के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटन यान को उसी प्रकृति के किसी अन्य पर्यटन यान से प्रतिस्थापित कर सकता है।
- स्पष्टीकरण-* इस नियम के प्रयोजनार्थ 'उसी प्रकृति के पर्यटकयान' पद से ऐसा यान अभिप्रेत है जो नियम 5 की सारणी 1 में यथा उल्लिखित उसी श्रेणी के हैं, जिसके लिए प्राधिकार या परमिट दिया गया है और फीस चुकायी गयी है तथा ऐसा प्रतिस्थापन पर्यटक यान के किसी भी अन्य मेक या मॉडल का हो सकता है।
10. **विशेषता सूचक चिन्ह-** पर्यटक यान जिसको इन नियमों के अधीन परमिट दिया गया है वो सुस्पष्ट रूप से यान के पीछे बाईं ओर नीले पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में परमिट की विधिमान्यता के साथ, "अखिल भारतीय पर्यटन परमिट" लिखा होगा।
11. **पर्यटकों की सूची-** परमिट के अधीन चल रहे मोटर कैब के अलावा अन्य पर्यटक यान में हर समय इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या भौतिक प्ररूप में पर्यटकों की एक सूची होगी, जिसमें प्रत्येक यात्री की यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान के बारे में विस्तार से जानकारी हो।
- (2) अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने/ मांग करने वाली प्राधिकृत अधिकारी के सामने उसकी मांग पर सूची को प्रस्तुत करेगा।
12. **बीमा कवरेज-** प्राधिकार और परमिट के अधीन प्रचालित प्रत्येक पर्यटनयान चालक के साथ साथ यात्री दायित्व के लिए विधिमान्य बीमा रक्षण होगा।
13. **प्रत्येक परमिट धारक द्वारा रखी जाने वाली जानकारी –** मोटर कैब के अलावा प्रत्येक पर्यटन यान प्रचालक प्राधिकार या परमिट धारण करेगा और एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए यात्रियों जिसमें यात्रा व्योरे भी शामिल हैं का रिकॉर्ड रखेगा और ये रिकॉर्ड मांग पर, अधिकारिता रखने वाले परिवहन प्राधिकरण या किसी अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट यात्रियों का कोई रिकॉर्ड किसी अन्य व्यक्ति या संगठन या कंपनी के साथ साझा नहीं करेगा।

14. प्राधिकार या परमिट रद्द करना और निलंबित करना- (1) ऐसा परिवहन प्राधिकरण जो यथास्थिति प्राधिकार या परमिट अनुदत्त करने वाला है, प्राधिकार या परमिट को रद्द कर सकेगा यदि प्राधिकार या परमिट का धारक -

- (क) यथा स्थिति इन नियमों या अधिनियमोंके उपबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रयोग किए जाने वाले किसी पर्यटन यान का उपयोग करता है याकरवाता है अथवा अनुदत्त करता है;
- (ख) प्राधिकार या परमिट, के अंतर्गत आने वाले यान का स्वामित्व समाप्त हो गया है;
- (ग) कपट या मिथ्या थापदेशन द्वारा प्राधिकार या परमिट प्राप्त किया;और
- (घ) किसी भी विदेशी देश की नागरिकता अर्जित की है।

15. अपील - अधिकारिता रखने वाले परिवहन प्राधिकारी के आदेश द्वारा पीड़ित कोई व्यक्ति-

- (1) नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकार या परमिट, जारी करने से इनकार करने पर, या
- (2) यथास्थिति प्राधिकार या परमिट, का निलंबन या रद्द करने अथवा उसकी स्थिति में किसी प्रकार की तब्दीली, या
- (3) इन नियमों के नियम 8 या नियम 9 के अधीन यथास्थिति प्राधिकार या परमिट, के अंतरण से इन्कार करने का आदेश, या
- (4) यथास्थिति प्राधिकार या परमिट, का नवीनीकरण करने से इन्कार करने का आदेश,

ऐसा व्यक्ति, उक्त आदेश प्राप्त करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य परिवहन अपील प्राधिकरण, जो ऐसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद निर्णय लेगा, के समक्ष अपील की जा सकती है।

16. छूट - (1) केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 82 से 85क के अधीन विहित शर्तें इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए परमिट पर लागू नहीं होंगी।

(2) मोटर यान (अखिल भारतीय पर्यटन परिवहन प्रचालकों के लिए अनुज्ञापत्र) नियमावली, 1993 के अधीन जारी किया गया परमिट उनकी वैधता अवधि के दौरान लागू रहेगा, जैसे कि वे अखिल भारतीय पर्यटक यान (प्राधिकार या परमिट) नियम 2020 के अधीन जारी किए गए थे।

प्ररूप 1

[नियम 3 (2) देखें]

अखिल भारतीय प्राधिकार के अनुदान / नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

पर्यटक यान प्रचालक

सेवा में

परिवहन प्राधिकरण

.....

आवेदक का नाम	
रजिस्ट्रीकृत पता	
कार्यालय का पता	
पैन नंबर	
जीएसटी नंबर	
पिछला प्राधिकार नंबर (केवल नवीनीकरण के	

लिए आवेदन करने के मामले में)							
यानका ब्योरा:							
क्रम सं	यान का मेक और मॉडल	रेजिस्ट्रीकरण सं	पहले रेजिस्ट्रीकरण की तारीख	अब तक अदा सड़क कर	बैठने की क्षमता	स्वामित्व प्रकार (स्वामित्व / लीज़)	वह श्रेणी जिसमें वाहन आता है।

2. मैंने प्राधिकार फीस के लिए निम्नलिखित संदाय कर दिया है।

क्रम सं	वह श्रेणी जिसमें यान आता है।	अधिकृत प्राधिकारके लिए आवेदित महीनों की सं.	प्राधिकार शुल्क	संदाय ब्योरे

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही हैं।

आवेदक(आवेदकों) या आधिकारिक रबर स्टैप के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

दस्तावेज:

(क) यान का रेजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ख) रेजिस्ट्रीकृत पते का सबूत;

(ग) पैन कार्ड नंबर की प्रति;

(घ) माल और सेवा कर प्रमाणपत्र;

(ड.) स्व-घोषित शपथ पत्र में घोषणा की गई है कि आवेदक को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन से पर्यटकों स्थानांतरित करने और विदेशी और घरेलू दोनों पर्यटकों को आस पास भ्रमण कराने के लिए पर्यटक वाहनों को संभालने का पर्याप्त ज्ञान है।

तारीख _____

प्ररूप 1 ए

[नियम 3 (3) देखें]

पर्यटक वाहन के लिए अखिल भारतीय परमिट के अनुदान / नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवामें,

परिवहन प्राधिकरण

.....

आवेदक का नाम	
अखिल भारतीय प्राधिकरण संख्या / प्राधिकरण आवेदन संख्या	
यान के ब्योरे जिनके लिए परमिट आवश्यक है:	

क्रम सं.	यान का मेक और मॉडल	रजिस्ट्रीकरण सं.	पहली रजिस्ट्रीकरण की तारीख	अब तक अदा किया गया रोड टैक्स	बैठने की क्षमता	बीमा की वैधता और तारीख	यान के स्वामित्व का प्रकार	यान द्वारा धारीत अंतिम परमिट संख्या	उन महीनों की संख्या जिनके लिए परमिट लागू है

२ मैंने परमिट शुल्क के लिए निम्नलिखित भुगतान किया है-

क्रम सं.	वह श्रेणी जिसमें यान आता है	अधिकृत प्राधिकरण के लिए आवेदित महीनों की सं.	परमिट शुल्क	भुगतान विवरण

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक(आवेदकों) या आधिकारिक रबर स्टैंप के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

दस्तावेज:

(क) वैध प्राधिकरण या प्राधिकरण आवेदन संख्या;

(ख) यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ग) वैध फिटनेस प्रमाणपत्र;

(घ) वैध बीमा प्रमाणपत्र;

(ड.) वैध प्रदूषण के तहत चेक प्रमाण पत्र

(च) स्व-घोषित शपथ पत्र में घोषणा की गई है कि पर्यटक वाहन के चालक के पास उचित वर्दी, ड्राइविंग लाइसेंस और पर्यटक को आस पास भ्रमण कराने के लिए पर्याप्त ज्ञान है और आवेदक के पास वाहनों के लिए उचित पार्किंग स्थान है।

तारीख _____

प्ररूप 2

[नियम 4 (4) देखें]

अखिल भारतीय पर्यटक यान प्राधिकार प्रमाण पत्र

यह अखिल भारतीय पर्यटक यान प्राधिकार प्रमाणपत्र पूरे भारत के लिए मान्य है

व्यक्ति या कंपनी से पूर्ण नाम (उपनाम के साथ शुरू, यदि कोई हो)

पूरा पता

प्राधिकार सं.

प्राधिकार प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि:

- (1) श्रेणी 1- से..... तक.....
 (2) श्रेणी 2- से तक
 (3) श्रेणी 3- से..... तक

परिवहन प्राधिकरण का हस्ताक्षर
 (उपयुक्त प्राधिकारी की मुहर)

प्ररूप 3

[नियम 4(4) को देखें]

अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (यान संख्या)

यह अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पूरे भारत के लिए मान्य है
 (हरयान के लिए अलग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा)

- व्यक्ति या कंपनी का पूर्ण नाम (उपनाम के साथ शुरू, यदि कोई हो)
- पूरा पता:
- परमिट नंबर:
- पर्यटक यान संचालक की प्राधिकरण संख्या: -

क्रम सं.	यान का मेक	रजिस्ट्रीकरण सं.	स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की तारीख और वैधता	बीमा की तारीख और वैधता	अब तक चुकाया रोड टैक्स	प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख	बैठने की क्षमता

- अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की वैधता की अवधि - से तक

परिवहन प्राधिकरण का हस्ताक्षर
 (उपयुक्त प्राधिकारी की मुहर)।

[फा. सं. आर टी-16017/2/2018-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

G.S.R. 166(E).—Whereas, the draft of All India Tourist Vehicles (Authorisation or Permit) rules, was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 425 (E), dated the 1st July, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the

expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st July, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (9) and (14) of section 88 read with clause (g) of sub-section (1) of section 89 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules in suppression of the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the All India Tourist Vehicles (Authorisation or Permit) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2021.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) “Authorisation” means an authorisation granted by the Transport Authority to enable tourist vehicles operator/ owner to ply tourist vehicle throughout the territory of India subject to the payment of taxes or fees, if any, levied by the State or Union territory through which it plies;

(c) “Form” means a Form appended to these rules;

(d) “Permit” means a permit issued by the Transport Authority to enable a tourist vehicle operator/ owner to ply tourist vehicle throughout the territory of India without payment of taxes or fee levied by the State or Union territory through which it plies;

(e) “Transport Authority” means the State Transport Authority constituted under sub-section (1) of section 68 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application for authorisation or permit.— (1) The authorisation shall be granted only to a tourist vehicle operator for category as mentioned in rule 5 and the permit shall be granted to a tourist vehicle of a tourist vehicle operator having valid authorisation.

(2) An application for grant of authorisation or renewal of authorisation, shall be made to the Transport Authority in Form 1 and shall be accompanied by copies of the documents as mentioned in the Form 1.

(3) An application for grant of permit or renewal of permit for a tourist vehicle shall be made to the Transport Authority in Form 1A and shall be accompanied by copies of the documents as mentioned in the Form 1A.

(4) The application made under sub-rule (1) shall be accompanied by the fee as specified in rule 5.

(5) The application along with the specified fee shall be made in electronic form on the website of the Ministry of Road Transport and Highways i.e. <https://parivahan.gov.in/parivahan/>.

(6) The Transport Authority shall issue the authorisation or permit, as the case may be, within a period of thirty days from the date of receipt of application.

4. Procedure for grant of authorisation or permit and renewal thereof. — On receipt of an application under rule 3, in case of permit, to ensure that the vehicle is compliant with these rules and is road worthy, the concerned Transport Authority may inspect the documents electronically.

(2) If the application made under sub-rule (1) of rule 3 is incomplete and not accompanied by fee specified in rule 5, the Transport Authority may reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that before rejecting an application, an opportunity shall be given to the applicant to cure the defects in the application.

(3) If no decision is taken by the Transport Authority within thirty days of receipt of the application, the authorisation or permit, as the case may be, shall be deemed to have been granted and generated through electronic system.

(4) The authorisation and permit shall be granted in Form 2 and Form 3, as the case may be, and shall be valid for a period of three months or its multiples thereof not exceeding five years at a time.

(5) The permit shall not be granted to a tourist vehicle after the completion of twelve years from the date of first registration of the vehicle:

Provided that, in case of a diesel vehicles registered in the National Capital Territory (NCT) of Delhi, permit shall not be granted after completion of ten years from the date of its first registration.

(6) The authorisation or the permit may be renewed on an application made not less than fifteen days before the date of its expiry.

- 5. Fee for issuance of authorisation or permit.** — (1) An application for the grant of authorisation or permit, as the case may be, shall be accompanied by the fee as specified in the table below:—

Table

(Annually)

Serial Number	Category of tourist vehicle as per passengers capacity excluding driver	Authorisation Fee (in rupees)	Air Conditioned Permit Fee (in rupees)	Non-Air Conditioned Permit Fee (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Less than nine	500	25,000	15,000
2.	Ten or more but less than twenty three	750	75,000	50,000
3.	Twenty three or more	1000	3,00,000	2,00,000

(2) The rates for quarterly permit shall be thirty percent of the fee specified in sub-rule (1):

Provided that in case where the Transport Authority is other than the Jurisdictional Transport Authority in which the operator has its registered address or the vehicle is registered, an additional charge of one hundred rupees in case of authorisation and one thousand rupees in case of permit shall be charged for issuance of authorisation or permit, as the case may be.

- 6. Distribution of consolidated authorisation or permit fee among States and Union territories.** —

(1) The fee paid towards authorisation or permit, as the case may be, shall be remitted on a monthly basis to the jurisdictional State.

(2) The permit fee collected under rule 5 shall be distributed among the States and Union territories as per the formula given below:

$$\begin{aligned}
 SR_n &= SS_n \times (\text{Actual revenue for the month for the country}) \\
 SR_n &= \text{Actual State Revenue for the month for nth State} \\
 SS_n &= \text{State share of nth State} \\
 &= \frac{\text{Total revenue for each State for preceding three financial years}}{\text{Total revenue of all the States/ Union territories for preceding three financial years.}}
 \end{aligned}$$

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “Total revenue” means the revenue collected by the State or Union territory from levy of Inter-state permit charges.

7. Scope and Validity of authorisation or permit. — (1) The authorisation or permit, as the case may be, shall be valid throughout India.

(2) The authorisation or permit, as the case may be, shall be used for the transport of passengers individually or in a group, along with their personal luggage.

(3) No individual or a group of individuals shall use the vehicle for the transport of passengers individually or in a group, unless they have a valid authorisation or permit, as the case may be, either in electronic form or in physical form.

8. Transfer of authorisation or permit.—(1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), authorisation or permit, as the case may be, shall not be transferable from one person to another except with the permission of the jurisdictional Transport Authority.

(2) Where the ownership of the tourist vehicle granted authorisation or permit under these rules, as the case may be, is transferred due to the death of the owner, the prospective owner or successor, as the case may be, shall use the authorisation or permit, as the case may be, after getting necessary changes of ownership by the jurisdictional Transport Authority within three months from such death:

Provided that the Transport Authority may entertain an application after the expiry of three month, if it is satisfied on reasons that the applicant was prevented from making an application within the specified time.

9. Replacement of vehicle. — The holder of authorisation or permit, as the case may be, may, with the permission of the jurisdictional Transport Authority, replace any tourist vehicle covered by the authorisation or permit, as the case may be, with any other tourist vehicle of the same nature.

Explanation. — For the purpose of this rule, the expression “tourist vehicle of same nature” means having the same category as mentioned in Table 1 of the rule 5 for which the authorisation or permit has been granted and fee has been paid and such replacement tourist vehicle may be of any other make or model.

10. Distinguishing mark.— The tourist vehicles which have been granted permit, under these rules shall prominently display the words ‘All India Tourist Permit’ on rear left side of the vehicle in white letters in blue background along with the validity of the permit.

11. List of tourists.— (1) A tourist vehicle other than a motor cab plying under the permit, shall at all times carry a list of passengers in electronic form or in physical form, which shall contain the details of origin and the destination of each passenger.

(2) The list shall be produced on demand before the officers authorised to demand production of documents by or under the Act or the rules made there under.

12. Insurance coverage.— Every tourist vehicle operating under the authorisation and permit shall have a valid insurance coverage for passenger liability as well as for the driver.

13. Information to be kept by every permit holder.— (1) Every tourist vehicle operator holding an authorisation or permit for a tourist vehicle other than a motor cab, shall maintain record of the passengers, including journey details, for a minimum period of one year and these records shall be made available to the Jurisdictional Transport Authority or any other law enforcement officer on demand.

(2) No record of the passenger referred to in sub-rule (1) shall be shared with any other person or organisation or company.

14. Cancellation and suspension of authorisation or permit.— The Transport Authority which granted authorisation or permit, as the case may be, may cancel the authorisation or permit, if the holder of the authorisation or permit,—

(1) uses or causes or allows a tourist vehicle to be used in contravention to the provisions of these rules or the Act, as the case may be;

- (2) ceases to own the vehicle covered by authorisation or permit, as the case may be;
 (3) obtained the authorisation or permit by fraud or misrepresentation, and
 (4) acquires the citizenship of any foreign country.

15. Appeals.—Any person aggrieved by the order of the jurisdictional Transport Authority against the, -

- (1) refusal to issue authorisation or permit, as the case may be, under sub-rule (2) of rule 4; or
 (2) suspension or cancellation of authorisation or permit, as the case may be, or any variation of the condition thereof; or
 (3) order of refusal to transfer the authorisation or permit, as the case may be, under rule 8 or rule 9 of these rules; or
 (4) order of refusal to renew the authorisation or permit, as the case may be,

may within a period of thirty days from the date on which the said order is received by such person, appeal to the State Transport Appellate Tribunal, which shall give a decision thereon after giving such person an opportunity of being heard.

16. Exemption.—(1) The conditions prescribed in rules 82 to 85A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall not apply to the permits granted under these rules.

(2) The permit issued under the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 shall continue to be in force during their validity period as if they were issued under the All India Tourist Vehicles (Authorisation or Permit) Rules, 2021.

Form 1

[See rule 3(2)]

**Application Form for Grant/Renewal of All India Authorisation for
 Tourist Vehicle Operator**

To

The Transport Authority

.....

Name of the applicant (s)								
Registered Address								
Official Address								
PAN Number								
GST Number								
Previous Authorisation Number (in case applying for renewal only)								
Particulars of the Vehicle(s):								
Sr. No.	Make and Model of the vehicle	Registration No.	Date of First Registration	Road Tax Paid up to	Seating capacity	Ownership Type (Owned/Leased)	Category in which vehicle falls	

2. I have made following payments towards Authorisation fee-

Sr. No.	Category in which vehicle falls	No of months for which authorisation applied	Authorisation Fee	Payment Details

I certify that the above information is true and correct.

Signature or thumb impression of applicant(s) or of the authorised signatory with official rubber stamp.

Documents:

- Registration Certificate of the Vehicle (s);
- Proof of registered address;
- Copy of PAN card number;
- Goods and Services Tax certificate;
- A self declared affidavit declaring that the applicant has adequate knowledge of handling tourist vehicles for transferring tourist from airport, railway station and for sight-seeing of tourists both foreign and domestic.

Date _____

Form 1A

[See rule 3(3)]

Application Form for Grant/Renewal of All India Permit for Tourist Vehicle

To

The Transport Authority

.....

Name of the applicant (s)									
All India Authorisation Number/Authorisation Application Number									
Particulars of the Vehicle(s) for which permit is required:									
Sr. No.	Make and Model of the vehicle	Registration No.	Date of First Registration	Road Tax Paid upto	Seating capacity	Date and validity of Insurance	Ownership Type	Last Permit number held by the vehicle	No. of months for which permit is applied for

2. I have made following payments towards Permit fee-

Sr. No.	Category in which vehicle falls	No of months for which permit applied	Permit Fee	Payment Details

I certify that the above information is true and correct.

Signature or thumb impression of applicant(s) or of the authorised signatory with official rubber stamp.

Documents:

- Valid Authorisation or Authorisation application number;
- Registration Certificate of the Vehicle;
- Valid fitness certificate;
- Valid insurance certificate;

(e) Valid Pollution under Check certificate.

(f) A self declared affidavit declaring that the driver of the tourist vehicle has proper uniform, driving license and adequate knowledge of taking the tourist for sight-seeing and that the applicant has proper parking space for the vehicles.

Date _____

Form 2

[See rule 4(4)]

All India Tourist Vehicle Authorisation Certificate

This All India Tourist Vehicle Authorisation Certificate is valid for whole of India

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)
2. Complete Address
3. Authorisation No.
4. Period of validity of the authorization certificate:
 - (1) Category 1- From..... to
 - (2) Category 2- From..... to
 - (3) Category 3- From..... to

Signature of the Transport Authority
(Seal of the appropriate authority)

Form 3

[Refer rule 4(4)]

All India Tourist Permit for (Vehicle Number)

This All India Tourist Permit is valid for whole of India

(Separate certificates shall be issued for every vehicle)

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)
2. Complete Address:
3. Permit No.:
4. Authorisation number of the Tourist Vehicle Operator:-

Sr. No.	Make of the Vehicle	Registration No.	Date and validity of Fitness Certificate	Date and validity of Insurance	Road Tax paid up to	Date of First Registration	Seating Capacity

5. Period of validity of the All India Tourist Permit.—From.....to.....

Signature of the Transport Authority
(Seal of the appropriate authority).

[F. No. RT-16017/2/2018-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.